न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 45/2012 तारीख रजू:— 22.06.2015

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

1. हेमन्त
2. परलोप
3. गजेन्द्र

पिसरान जगदीश प्रसाद गनोलिया ठाकुर (चोबदार) निवासी सोमली हाल आबाद सी—125 फ्लेट नं0एस—4 शालीमार्ग गार्डन,एक्टेन्शन—2,साहिबाबाद,गाजियाबाद यूपी

4. आशा कुमारी पत्नि दुर्गा प्रसाद पुत्री जगदीश निवासी भरतपुर
5. कमलेश पत्नि महेन्द्रसिंह तोमर पुत्री जगदीश निवासी अजमेर
6. सुनीता पत्नि हुकमसिंह पुत्री जगदीश निवासी चित्तोडगढ ----- सायलान

बनाम

1. श्रीमती सुधा शर्मा पत्नि महेश चन्द शर्मा जाति शर्मा निवासी कृष्णा कोलोनी हिण्डौ जिला करौली
2. महेश चन्द शर्मा पुत्र नामालूम जाति शर्मा निवासी कृष्णा कोलोनी हिण्डौ जिला करौली
3. सब रजिस्ट्रार हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान ------ गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री राधामोहन गोस्वामी एडवोकेट सायलान
2. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट गैरसायल सं.1ता 2

निर्णय

दिनांक :— 31-03-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवान का वाद पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी आशा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 [illegible] है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सोमली [illegible] हिण्डौन [illegible] स्थित है। जो सायलान की खातेदारी व कब्जा काश्त [illegible] है [illegible] सायलान [illegible] तक काबिज है। इसलिए प्रथम दृष्टया केस साय[illegible] का बखूबी साबित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद न02 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में एक दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का सायलान के पिता श्री जगदीश पुत्र कंचनसिंह द्वारा रामखिलाडी व हीरालाल पुत्रगण जौहरी व सरकार के खिलाफ न्यायालय हाजा में पेश किया था, जिसका मुकदमा नं0 375/92 डला था, जो दिनांक 21.05.2003 को फैंसल हुआ, जिसकी अपील सायलान के पिता जगदीश द्वारा राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहाँ पेश की, जिसकी अपील संख्या 172/2003 डली थी, जो बाद बहस दिनांक 27.01.2006 को निर्णित की गई थी। मुताबिक निर्णय आराजी खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 को अपीलान्ट जगदीश पुत्र कंचन की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित किये गये।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि सायलान के पिता ने उक्त निर्णय का अमल करवाने हेतु इस न्यायालय में एक इजराय भी पेश की हुई है जो अभी तक पेंडिग है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.01.2006 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट रामखिलाडी, हीरा पुत्र जौहरी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील पेश की गई, जिसकी अपील संख्या 778/2006 है। उक्त अपील मतें दिनांक 24.02.2006 को पक्षकारान के एडवोकेट को सुनकर राजस्व मण्डल के अधिकारियों द्वारा विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत रखने के आदेश आगामी पेश तक पारित किये गये जो दिनांक 31.03.2006 को पूर्व स्टे अन्य आदेश तक बढाया जाता की इबारत आर्डरशीट में अंकित है। यानि उक्त आदेश आज दिन तक प्रभावशील है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि दौराने अपील हाजा दिनांक 18.09.2013 को देवयोग से जगदीश पुत्र कंचनसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, उनके मरणोपरान्त सायलान ही उसके कायम मुकाम कानूनी है तथा उनके द्वारा ही राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त अपील की पैरवी की जा रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि सायलान सं01 ता 3 वर्तमान में गाजियाबाद में रहकर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। समय समय पर आकर अपने घर व आराजी मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र की सार संभाल करते रहे हैं। सायल नं04 लगायत 6 सायल नं01 ता 3 की सगी बहिनें है। उनकी शादी हो चुकी है और [illegible] ससुराल में रहकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर [illegible] माह में गांव से दिनेश का फोन आया था कि [illegible] जमीन पर [illegible] (मुकदमा) चल रहा है उसकी रजिस्ट्री हीरा, रामखिलाडी ने करा [illegible] पर सायल नं01 ने दिनेश से कहा कि जानकारी कर उक्त रजिस्ट्री की नकल निकलवाओ। उक्त रजिस्ट्री की नकल

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

दिनांक 03.06.2015 को दिनेश को प्राप्त हुई तब उसने बताया कि विक्रय पत्र रजिस्टर्ड हो चुका है तब सायलान को उक्त रजिस्ट्री की जानकारी हुई है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 27.01.2006 व राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 24.02.2006 व 31.03.2006 के होने के बावजूद रामखिलाडी व हीरा पुत्रगण जौहरी जाति चौबदार निवासी सोमली ने षडयंत्र व कपट पूर्वक सायलान को हैरा व परेशा करने की गरज से उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सोमली का एक फर्जी नुमायसी बिना प्रतिफल व बिना कब्जे का एक विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2014 को गैरसायल नं01 श्रीमती सुधा शर्मा के हक में रजिस्टर्ड करा दिया है जबकि गैरसायल नं01 के पति को पक्षकारान के मध्य चल रहे मुकदमा की पूर्ण जानकारी है। उक्त विक्रय पत्र मुताबिक टी.पी. एक्ट सैक्श 52 के प्रावधानों के अधीन है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन पर शुरू से सायलान व उनसे पूर्व उनके पिता का कब्जा काश्त रहा है, जिसकी ताईद पूर्व में पेश मुकदमा नम्बर 375/92 उनवानी जगदीश बनाम सरकार रामखिलाडी व हीरा न्यायालय एसडीओ हिण्डौन में पेश गवाहान व मौका रिपोर्ट दिनांक 01.06.2005 जो तहसीलदारजी हिण्डौन द्वारा मौके पर जाकर मौके पर उपस्थित लोगों के समक्ष तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर कर तैयार की गई है। जिसमें रामखिलाडी व हीरा के पुत्रगण भी मौजूद थे, जिनके दस्तखत भी उक्त रिपोर्ट पर अंकित हैं तथा स्वंय रामखिलाडी व हीरा ने 10/—रूपया के स्टाम्प पर अपने हलफनामा पेश किये हैं। जिसमें उक्त आराजी सायलान के पिता जगदीश पुत्र कंचन की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना माना है तथा उनमें जगदीश द्वारा काश्त बोना व उसी के द्वारा दरोह करना स्वीकारा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि रामखिलाडी व हीरा पुत्रगण जौहरी के लडके हैं। इनके एक चाचा ग्यारसी था, जो लाऔलाद फौत होने पर उसकी आराजीयात भी अपने नाम गलत नामान्तकरण, गलत बल्दीयत अंकित कर करा ली थी, जो जमाबन्दी में दर्ज है, एक खाता में इनकी बल्दियत जौहरी व एक खाते में ग्यारसी दर्ज है। इनके मन में शुरू से बदनियाति रही है। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय पारित होने व राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन होने के बावजूद जो सच्चाई इनके मन में है कि वास्तव में दोनो विवादित खसरा नम्बरान सायलान के पिता व सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिस पर इनका कब्जा है। राजस्व मण्डल अजमेर से भी निर्णय सायलान के हक में पारित होने के डर से ही जानबूझकर सायलान को विवादों में फंसाने हेतु यह फर्जी बिना प्रतिफल व बिना कब्जे के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

विक्रय पत्र प्रतिवादी गैरसायल सं01 को कराया है, जो बमुकावले सायलान कानूनन बेअसर है। इस विक्रय पत्र से गैरसायल नं01 को कोई कानूनी हक किसी प्रकार से क्रियेट नहीं होते हैं। इसलिए सुविधा का सतुलन सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायलान व उनसे पूर्व उनके पिता जगदीश आराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्था पत्र को काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में उक्त आराजीयात में बिटोरे घूरे छान डाल रखी है। सिंचाई के लिए पाइपलाईन अण्डर ग्राउण्ड डली हुई है। देवताओं के स्थान बने हुए हैं। सायलान ही उपरोक्त खसरा नम्बरान की जमीन को उपयोग उपभोग खुल्लम खुल्ला रूप से बिना किसी व्यवधान के करते चले आ रहे हैं। गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का इन दोंनो खसरा नम्बरान मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि गैरसायलान यह बखूबी जानते हुए कि आराजी खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 पर विक्रेता रामखिलाडी व हीरा का कब्जा नहीं है तथा उक्त नम्बरों के सम्बन्ध में मुकदमा भी विचाराधीन है। बावजूद इन सब जानकारी होने के विक्रय पत्र तस्दीक कराया है जो उसकी बदयाति को दर्शाता है तथा उसी बदनियती के चलते विक्रय पत्र की आड में लट्ठ की ताकत से उपर वर्णित खसरा म्बरों का कब्जा करने की फिराक में हैं तथा सायलान को कब्जे से बेदखल करना चाहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 13 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 17.06.2015 को सुबह 9–10 बजे की है कि सायल नं01 अपनी उपरोक्त आराजीयात की सार संभाल करने गया हुआ था तो गैरसायल सं02 व उसके साथ 6–7 व्यवित ओर थे, हाथों में लाठी थी, मौके पर आये और सायल नं01 से गैरसायल नं02 व उसके साथ जिन्हें सायल नं01 नहीं जानता बोले कि ये जमीन मैने खरीद ली है अब तुम इस जमीन से अपना कब्जा हटा लो, इस पर सायल नं01 ने कहा कि यह जमीन तो हमारी है, इस पर राजस्व मण्डल अजमेर में मुकदमा भी चल रहा है। आरएए सवाईमाधोपुर से हम जीत चुके है तो गैरसायल नं02 ने कहा कि हम किसी केस या फैंसले को नहीं जानते हैं। मैने यह जमीन खरीद ली है या तो राजी बाजी खेत से कब्जा हटालें अन्यथा जबरदस्ती लट्ठ के बल पर कब्जा करेंगें, मौके पर पडौसी भी आ गये गैरसायल नं02 अजखुद मानने को तैयार नहीं है तथा हठधर्मी पर आमादा व लट्ठ की ताकत का गलत इस्तेमाल करने पर उतारू है। यदि गैरसायलान अपनी उपरोक्त कार्यवाही में सफल हो गये तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के मद नं0 14 में दर्ज किया है कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू पूरी तरह से सायलान के पक्ष में साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं015 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने में कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है जबकि पाबन्द न किये जाने में सायलान को अतुलनीय क्षति है। जिसकी पूर्ति द्रव्य में सम्भव नहीं होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायलान को अराजीयात मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन में सायलान के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत न तो स्वंय करें न किसी अन्य से करायें। सायलान को उक्त आराजीयात का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दें, जबरन बेदखल न करें, ना ही गैरसायलान ऐसा कोई कृत्य करें जिससे हकूक सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचे तथा आराजीयात खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम तस्दीक नहीं करें, रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत कायम रखी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाद तामील गैरसायल सं01,2 की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं01 में दावा पेश होना स्वीकार है लेकिन सायलान को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं02 में आराजी खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन में होना स्वीकार है लेकिन उक्त भूमि सायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नहीं होकर हीरालाल, रामखिलाडी पि0 ग्यासी जाति चौबदार की खातेदारी की भूमि थी, जिसे गैरसायल न01 ने दिनांक 19.12.2014 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र चार लाख बारह सौ अस्सी रूपये में क्रय की थी तभी से ही गैरसायल सं01 व 2 का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं03 जिस प्रकार तहरीर है जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं04,5,6 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं04,5,6 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं07 जिस प्रकार तहरीर है गलत है, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं08 जिस प्रकार तहरीर है गलत है, अस्वीकार है। रामखिलाडी व हीरा पुत्र ग्यासी ने आराजी खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन का विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2014 को गैरसायल सं01 श्रीमती सुधा को चार लाख बारह सौ अस्सी रूपये नगद लेकर रजिस्टर्ड करवाया है तथा गैरसायल नं01 के पति को पक्षकारान के मध्य चल रहे मुकदमों की कोई जानकारी नहीं थी।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं09 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। उक्त विक्रय पत्र टी.पी.एक्ट की धारा 52 के प्रावधानों के अधीन नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद सं010 जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है। आराजी खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन पर सायलान व उनके पूर्वजों का कभी भी कब्जा नहीं रहा बल्कि उक्त भूमि पर रामखिलाडी व हीरालाल चौबदार का कब्जा काश्त रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं011 जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं012 जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है। आराजी मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र पर सायलान के पूर्वजों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि में गैरसायल सं01 व 2 ने उठने बैठने के लिए छान डाल रखी है तथा उक्त भूमि पर आज गैरसायल नं01 2 का ही कब्जा चला आ रहा है।

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं013 जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है। गैरसायल नं01 व 2 को उक्त भूमि के बारे में विवादित मुकदमों की कोई जानकारी नहीं थी तथा गैरसायल नं01 व 2 ने हाल राजस्व रिकार्ड रिकार्ड देखकर उक्त भूमि कय की है तथा [illegible] रिकार्ड जमाबन्दी में किसी प्रकार का किसी भी न्यायालय का स्थगन का नोट [illegible] था।

जबाव प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थना पत्र के मद नं014 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं014 [illegible] प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

है। उक्त मद में सारी बातें बनावटी व काल्पनिक दर्ज की हैं। सायलान का उक्त भूमि पर कभी कब्जा ही नहीं रहा तो दिनांक 17.06.2015 को साल संभाल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा गैरसायल नं01 व 2 ने उक्त भूमि पर दिनांक 19.12.2014 को ही कब्जा प्राप्त कर लिया तथा तभी से ही गैरसायल नं01 व 2 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। सायलान का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध बास्ता नहीं है। प्रथम दृष्टया केस गैरसायलान बखूबी साबित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं015 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 15 गलत है अस्वीकार नहीं है। सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। दावा एवं दर0 गलत पेश किये हैं।

विशेष विवरण – जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं016 में दर्ज किया है कि सायलान का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा इसलिए बिना कब्जा के सायलान अस्थायी निषेधाज्ञा की रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं017 में दर्ज किया है कि गैरसायलान उक्त भूमि में रजिस्टर्ड केता हैं तथा रजिस्टर्ड केता के खिलाफ सायलान कोई रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं018 में दर्ज किया है कि सायलान ने उक्त दावा एवं दर0 गैरसायल को हरेशमेन्ट करने की गरज से पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं019 में दर्ज किया है कि सायलान ने हाल खातेदार रामखिलाडी व हीरालाल चौबदार को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए आवश्यक पक्षकार को पार्टी बनाये बिना दावा एवं दर0 हाजा पेश किया है जो असंयोजन का नुक्स होने के कारण खारिज होने योग्य हैं।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069से 72, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल खसरा नम्बरान, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2057 से 60, फोटो प्रति मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 01.06.2005 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर प्रकरण सं0 172/2003 उनवानी जगदीश बनाम सरकार वगैराह, फोटो प्रति माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर प्रकरण सं0 172/2003 उनवानी जगदीश बनाम सरकार वगैराह में पा[illegible] दिनांक 27.01.2006 व डिक्री, फोटो प्रति न्यायालय [illegible] अजमेर द्वितीय अपील संख्या 778/2006 उनवानी [illegible] बनाम [illegible]श वगैराह की आदेशिका दिनांक 04.02.2006 से 01.05.2015 तक [illegible] प्रति रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 19.12.2014 उनवानी हीरालाल रामखिलाडी बहक श्रीमती सुधा शर्मा, फोटो प्रति मृत्यु

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रमाण पत्र जगदीश चन्द्र पुत्र कंचनसिंह निवासी सी–125/एस–4 शालीमार गार्डन जिला– 2 साहिबाबाद उत्तर प्रदेश मृत्यु दिनांक 18.09.2013 पेश किये हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 व 2 ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अपील– डिक्री/टी.ए./2006/778/ करौली उनवानी रामखिलाडी वगैराह बनाम जगदीश वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2014 उनवानी हीरालाल रामखिलाडी बहक श्रीमती सुधा शर्मा, फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 375/1992 उनवी जगदीश बनाम सरकार वगैराह निर्णय दिनांक 21.05.2003 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। सायलान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2069से 72 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 457 रकबा 0.45 है0, 458 रकबा 0.01 है0, 459 रकबा 0.47 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.13 है0, 465 रकबा 0.40 है0, 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.22 है0 वाके ग्राम सौमली तहसील हिण्डौन की खातेदारी हीरालाल, रामखिलाडी पि0 ग्यासी जाति चोबदार निवासी ग्राम राहिन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सूरौठ मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2057 से 60 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 457 रकबा 0.45 है0, 458 रकबा 0.01 है0, 459 रकबा 0.47 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.13 है0, 465 रकबा 0.40 है0, 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.22 है0 वाके ग्राम सौमली तहसील हिण्डौन की खातेदारी हीरालाल, रामखिलाडी पि0 ग्यासी जाति चोबदार निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका दिनांक 01.06.2005 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर प्रकरण सं0 172/2003 उनवानी जगदीश बनाम सरकार वगैराह के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सोमली तहसील हिण्डौन की खातेदारी हीरालाल रामखिलाडी पि0 ग्यासी जाति चौबदार निवासी ग्राम ... दर्ज होना अंकित किया है तथा इससे पूर्व उक्त भूमि ग्यासी ... की भूमि होना अंकित किया है किन्तु उक्त भूमि पर जगदीश चौबदार का कब्जा बताया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 375/1992 उनवी जगदीश बनाम सरकार वगैराह निर्णय दिनांक 21.05.2003 में अंकित किया है कि मुताबिक नकल जमाबन्दी ग्राम सौमला सं0 2035 से 38 मे खसरा म्बर 294/2 रकबा 14 बीघा की खातेदारी जगदीश पुत्र कंचनसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल ग्राम सौमली साबिक खसरा नम्बर 294 मिन रकबा 14 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 478 रकबा 0.90 है0, 479 रकबा 0.01 है0, 480 रकबा 1.01 है0, 482 रकबा 1.74 है0, 481 रकबा 1.30 है0, 483 रकबा 0.70 है0, बनाये गये हैं। नकल जमाबदी ग्राम सौमली आधार वर्ष 1992 खसरा नम्बर 238/3 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 457 रकबा 0.45 है0, 458 रकबा 0.01 है0, 459 रकबा 0.47 है0, 463 रकबा 0.12 है0, 464 रकबा 0.13 है0, 465 रकबा 0.40 है0, 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता8 कुल रकबा 2.22 है0कायम कर हीरालाल रामखिलाडी पि0 ग्यासी चौबदार के नाम दर्ज है। वादी का रकबा साबिक के मुकाबले कम नहीं है बल्कि 16 एयर रकबा पूर्व से भू–प्रबन्ध विभाग ने अधिक दिया है। इसलिए दावा वादी आधारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय की अपील सायलान के पिता जगदीश के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहॉ पेश की। जो दिनांक 27.01.2006 को निर्णित हुई। जिसके सम्बन्ध में निर्णय की फोटो प्रति पेश की है। फोटो प्रति माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर प्रकरण सं0 172/2003 उनवानी जगदीश बनाम सरकार वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 27 01.2006 व डिक्री के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2003 उपजिला कलक्टर हिण्डौन निरस्त किये जाकर दावा वादी डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 का वादी/ अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाता है तथा प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्ट के अंकन कलमज किये जाते हैं साथ ही तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि गै0मु0नाले की दक्षिणी दिशा में वादी/ अपीलान्ट को साबिक रकबा 14 बीघा के बराबर पैमाईश कराकर पत्थरगढी कराई जावे तथा यदि वादी/ अपीलान्ट के पास 14 बीघा से अधिक रकबा पाया जाता है तो उसे गै0मु0 नला खसरा नम्बर 474 में शामिल किया जावे व बेशी रकबा सिवायचक दर्ज करें। पर्चा डिकी तदनुसार जारी हो।

उक्त निर्णय की द्वितीय अपील रामखिलाडी वगैराह ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल [illegible] में पेश की। जिसकी निर्णय की प्रति गैरसायलान की ओर से पेश की गई है। [illegible] प्रति न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वितीय अपील संख्या 778/[illegible] रामखिलाडी बनाम जगदीश वगैराह की आदेशिका [illegible] 06 से 01.05.2015 तक की पेश की जिसके अनुसार दिनांक 24.02.2006 [illegible] किया है कि वकुलाय फरीकेन उपस्थित हैं। वकुलाय फरीकेन की बहस अपील के एडमीशन पर सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कानूनी बिन्दू निहित होने से अपील एडमिट की जाती है तहत रिकार्ड तलब हो, तत्पश्चात वकील अपीलान्ट की बहस स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 27.01.2006 में अंकित विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति आगामी पेशी तक बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है।तदानुसार अहकाम दस्ती जारी हो, रेस्पोडेन्ट के नोटिस जारी किये जावे, मिसल दिनांक 03.03.2006 को पेश हो।

फोटो प्रति माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अपील–डिक्री / टी.ए. / 2006 / 778 / करौली उनवानी रामखिलाडी वगैराह बनाम जगदीश वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 के मद नं013 में अंकन किया है कि अतिरिक्त साक्ष्य गढने के इरादे से एक प्रार्थना पत्र अनतर्गत आदेश 26 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने स्वीकार कर तहसीलदार हिण्डौन को मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिया व मौका की रिपोर्ट मंगवा ली। उक्त मौका रिपोर्ट को अपीलार्थी ने चुनौती भी दी लेकिन विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर ने उन पर ध्यान नहीं दिया और तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर विवादित खसरा नम्बर 478 / 861 व 480 / 862 को अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार हिण्डौन ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.06.2005 में अंकित किया है कि " जानकारी के अनुसार जगदीश पुत्र कंचनसिंह जाति चौबदार बिासी सौमली का कब्जा चला आ रहा है " तहसीलदार हिण्डौन ने उक्त जानकारी का स्त्रोत नहीं बताया है। उन्हें किसने बताया और किनके समक्ष बताया। कि कब्जा जगदीश का है। क्या उस समय अपीलार्थी या उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित था। यदि एक बार यह मान भी लिया जावे कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी जगदीश का कब्जा है तो क्या विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अर्न्तगत इस प्रकार विपरीत कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। डीएनजे–2014(4) (राज.) पेज–1632 एवं डीएनजे.–2012(1) (राज.) पेज–161 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट अभिमत प्रकट किया है कि अतिरिक्त साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मौका कमिश्नर की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। अतः इस मौका रिपोर्ट को अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस कारण यह मौका रिपोर्ट शून्य व निष्प्र[illegible] है। इसलिए विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर का निर्णय विधि के विपरीत [illegible] कारण अपास्त किये जाने योग्य है। एवं मद नं014 में अं[illegible] किया है कि [illegible] की अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान [illegible] सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 27.01.2006 निरस्त किया जाता है और वि[illegible] उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन का आदेश दिनांक 21.05.2003 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

लोटाया जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2014 उनवानी हीरालाल रामखिलाडी बहक श्रीमती सुधा शर्मा के अनुसार खातेदार हीरालाल व रामखिलाडी पि0 ग्यासी जाति चौबदार निवासी सौमली तहसील हिण्डौन के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सौमली तहसील हिण्डौन को केती श्रीमती सुधा शर्मा पत्नि महेश चन्द शर्मा के हक में विक्रय किया गया है तथा मौके पर केती को कब्जा संभलाया जाना अंकित किया है। उक्त विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन में रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सौमली तहसील हिण्डौन के हीरालाल रामखिलाडी पि0 ग्यासी जाति चौबदार निवासी सौमली तहसील हिण्डौन खातेदार काश्तकार थे, जिन्होंने दिनांक 19.12.2014 को उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र श्रीमती सुधा शर्मा को विक्रय कर दिया है और विक्रय पत्र के मुताबिक उक्त विवादित आराजीयात पर केती श्रीमती सुधा का मौके पर कब्जा संभला दिया है। उक्त विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में सायलान के पिता जगदीश प्रसाद ने पूर्व में इस न्यायालय में मुकदमा नं0 375/1992 उनवानी जगदीश बनाम सरकार वगैराह दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी तथा हुक्मईम्तनाई दवामी पेश किया था जो दिनांक 21.05.2003 को खारिज कर दिया गया। जिसकी अपील जगदीश ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के यहॉ अपील सं0 172/2003 उनवानी जगदीश बनाम सरकार वगैराह पेश की जो दिनांक 27.01.2006 को स्वीकार करते हुए जगदीश को उक्त विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया, जिसकी अपील रामखिलाडी वगैराह ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील संख्या –डिक्री/ टी.ए./2006/778/ करौली उनवानी रामखिलाडी वगैराह बनाम जगदीश वगैराह पेश की, जिसमें दिनांक 27.01.2021 को निर्णय पारित करते हुए माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 27.01.2006 निरस्त किया गया है और उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन का आदेश दिनांक 21.05.2003 यथावत रखा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सौमली तहसील हिण्डौन के हीरालाल रामखिलाडी पि0 ग्यासी जाति चौबदार निवासी सौमली तहसील हिण्डौन खातेदार काश्तकार रही हैं। जिनको उक्त विवादित आराजीयात को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है तथा गैरसायल सं01 के हक में दिनांक 19.12.2014 को किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर गैरसायल सं01 विवादित आराजीयात की खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

साबित है। उक्त विवादित आराजीयात से सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अतुलनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अतुलनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है। तहसील हिण्डौन में से नवीन तहसील सूरौठ बन जाने के कारण उक्त ग्राम तहसील सूरौठ के अन्तर्गत आता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 478/861 रकबा 0.44 है0, 480/862 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम सौमली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 31-03-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31-03-21

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपखण्ड अधिकारी * हिण्डौन सिटी, करौली *

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.04.08 10:51:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner